सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/216** दायर दिनांक **26.07.2012**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. छोटुराम पुत्र मगनाराम, उम्र–39साल, 2. मदनलाल पुत्र मगनाराम, उम्र–45साल, 3. सम्पतराम पुत्र मगनाराम, उम्र–49साल, 4. बंशीराम पुत्र रणजीतराम, उम्र–60साल, 5. नारायणी पत्नी गणपतराम, उम्र–55साल, 6. शिवप्रसाद पुत्र स्व0 गणपतराम, उम्र–34साल, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बुड़ोद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. रामूराम पुत्र रतनाराम, उम्र–71साल, 2. किशोरराम पुत्र चिमनाराम, उम्र–50साल, 3. पूसाराम पुत्र लादूराम, उम्र–65साल, 4. सुन्दर पत्नी हरिराम, उम्र–67साल, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बुड़ोद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ईस्लामुदीन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 तक की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **28.07.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम बुड़ोद पटवार हल्का आगुन्ता में कृषि भूमि खसरा नम्बर 260/364 रकबा 13.18 बीघा बारानी द्वितीय अवस्थित है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04, खातेदार, काबिज काश्तकार हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 तक एक ही पूर्वज केशरा के वंशज हैं। वादग्रस्त भूमि में वादीगण संख्या 01 ता 03 का 1/2 हिस्सा तथा 04 ता 05 का 1/2 हिस्सा बन्ट मे आता है गुलाबी पत्नी चिमनाराम दिनांक 16.02.2010 को फौत हो चुकी है। जमाबन्दी में दर्ज खातेदार बाबुराम व पप्पुराम पुत्रगण भूराराम की मृत्यु भी वर्षों पूर्व हो चुकी है। जिनके वारिसान् यहाँ नहीं रहते है इसलिए इनका नाम खातेदारी से पृथक किया जाना है।

मौजा ग्राम बुड़ोद तहसील डीडवाना में वादीगण के दादा स्व0 रतना के वारिस मालाराम हुए जिनकी मृत्यु दिनांक 10.02.1940 को हो

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/216
दायर दिनांक 26.07.2012, निर्णय दिनांक 28.07.2017
छोटुराम, वगैरा बनाम् रामूराम, वगैरा।

चुकी है जिनका खातेदारी मे नाम दर्ज नहीं हुआ व इनके वारिसान् स्व0 रणजीतराम व स्व0 मगनाराम हुए। स्व0 रणजीतराम के वंशज वादी संख्या 04 बंशीराम तथा वादी संख्या 05 व 06 नारायणी व शिवप्रसाद हुए जो आज भी अपने हिस्से की भूमि अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे है।

वादीगण मुतनाजा खेत के कानूनन् काश्तकार है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। मुतनाजा खेत खसरा नम्बर 260/364 रकबा 13.18 बीघा में वादीगण का पैतृक कब्जाकाश्त है। रामूराम ने प्रतिवादीगण का नाम अंकन करवा दिया जबकि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कहीं भी कब्जाकाश्त है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का नाम हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरस्त करना आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का नाम गलती से दर्ज हो जाने से वर्तमान में जमीनों की कीमतें बढ जाने से तथा प्रतिवादी संख्या 04 की नियत में फर्क आ गया है जिस वजह से वादीगण के हितों पर काले बादल छा गये हैं। इस कारण वादीगण को उक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि का घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का हित उक्त कृषि भूमि में बिलकुल भी नहीं है क्योंकि उनके अन्य खसरान् की भूमि पर कब्जाकाश्त है जिन पर वे वर्षों से काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे हैं।

वादीगण संख्या 01 ता 06 का वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार हिस्सा अनुरूप घोषित किया जावेः–

1. **छोटुराम, मदनलाल व सम्पतराम पुत्रगण स्व0 मगनाराम के बन्ट में आयी भूमिः–**

   खसरा नम्बर 260/364 रकबा 13.18 बीघा में से 06.19 बीघा दक्षिणी तरफ की भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार।

2. **वादी संख्या 04 बंशीराम पुत्र रणजीतराम, वादी संख्या 05 नारायणी पत्नी गणपतराम तथा वादी संख्या 06 शिवप्रसाद पुत्र स्व0 गणपतराम के बन्ट में आयी भूमिः–**

   खसरा नम्बर 260/364 रकबा 13.18 बीघा में से 06.19 बीघा उत्तरी तरफ की भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार।

उपर्युक्त बन्ट में आयी भूमि में आने–जाने का रास्ता सड़क से सींव के पास–पास होते हुए उत्तरी सड़क से दक्षिणी सीमा तक 16 फुट का शामलाती रास्ता रहेगा।

बिनाय दावा करीब 06 माह पूर्व प्रतिवादीग को वादीगण द्वारा बन्टवारे व खातेदारी करवाने का कहने सेव एवं हाल ही में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नाम नहीं होने तथा खातेदारी बन्टवारा के विपरीत दर्ज होने की जानकारी होने पर बमुकाम बुड़ोद पैदा हुई जो लगतार पैदा हो रही है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 260/364 रकबा 13.18 बीघा वाद वर्णित बन्ट व कब्जाकाश्त अनुसार वादीगण के बीच नक्शे मे दर्शाए अनुसार बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर घोषणा खातेदारी में नाम अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/216 दायर दिनांक 26.07.2012, निर्णय दिनांक 28.07.2017 छोटुराम, वगैरा बनाम् रामूराम, वगैरा।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 05 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2068–2071 तक की खेवट संख्या 143 की प्रमाणित प्रतिलिपि, गणपतराम की मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, मालाराम की मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति व गुलाबीदेवी की मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति वाद पत्र के साथ पेश है।

पक्षकारान् जरिये अधिवक्तागण के अपने मध्य हुए राजीनामा को न्यायालय में पेश किया। पक्षकारान् मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया।

पक्षकारान् को राजीनामा की इबारात् पढकर सुनाई व समझायी गयी, जिसे पक्षकारान् ने बिना किसी लोभ व लालच के सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री पूरणसिंह बोहरा ने की तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की पहचान अधिवक्ता श्री ईस्लामुदीन ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

उक्त राजीनामा के मुताबिक–

खसरा नम्बर 260/364 रकबा 13.18 बीघा में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी तरफ की भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार वादीगण संख्या 01 ता 03 छोटुराम, मदनलाल व सम्पतराम पुत्रगण स्व0 मगनाराम की खातेदारी में घोषित की जावे।

खसरा नम्बर 260/364 रकबा 13.18 बीघा में से 1/2 हिस्स उत्तरी तरफ की भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार वादीगण संख्या 04 ता 06, बंशीराम पुत्र रणजीतराम, नारायणी पत्नी गणपतराम तथा शिवप्रसाद पुत्र स्व0 गणपतराम की खातेदारी में घोषित की जावे।

उपर्युक्त बन्ट में आयी भूमि में आने–जाने का रास्ता सड़क से सींव के पास–पास होते हुए उत्तरी सड़क से दक्षिणी सीमा तक 16 फुट का शामलाती रास्ता रहेगा।

पक्षकारान् उपस्थित हुए। पक्षकारान् ने किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने की मंशा जाहिर की व वादीगण के चाहे गये अनुतोषानुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया। चूँकि वादीगण के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 216
दायर दिनांक 26.07.2012, निर्णय दिनांक 28.07.2017
छोटूराम, वगैरा बनाम् रामूराम, वगैरा।

आदेश

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद बुड़ोद में खसरा नम्बर 260 / 364 रकबा 13.18 बीघा का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार रकबा 06.19 बीघा का वादीगण संख्या 01 ता 03 को व रकबा 06.19 बीघा का वादीगण संख्या 04 ता 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का नाम इस खसरे की खातेदारी से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **28.07.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/216 दायर दिनांक 26.07.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. छोटुराम पुत्र मगनाराम, उम्र–39साल, 2. मदनलाल पुत्र मगनाराम, उम्र–45साल, 3. सम्पतराम पुत्र मगनाराम, उम्र–49साल, 4. बंशीराम पुत्र रणजीतराम, उम्र–60साल, 5. नारायणी पत्नी गणपतराम, उम्र–55साल, 6. शिवप्रसाद पुत्र स्व0 गणपतराम, उम्र–34साल, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बुड़ोद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामूराम पुत्र रतनाराम, उम्र–71साल, 2. किशोरराम पुत्र चिमनाराम, उम्र–50साल, 3. पूसाराम पुत्र लादूराम, उम्र–65साल, 4. सुन्दर पत्नी हरिराम, उम्र–67साल, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–बुड़ोद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 28.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादीगण श्री ईस्लामुदीन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 तक ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद बुड़ोद में खसरा नम्बर 260/364 रकबा 13.18 बीघा का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार रकबा 06.19 बीघा का वादीगण संख्या 01 ता 03 को व रकबा 06.19 बीघा का वादीगण संख्या 04 ता 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का नाम इस खसरे की खातेदारी से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.07.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner